

# न्यायालय कलक्टर (आर्बीट्रेटर) नेशनल हाईवे अजमेर

प्रकरण संख्या 109/2017

1. रामकरण पुत्र रामदेव जाति यादव, निवासी श्रीनगर, अजमेर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद।
2. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जी-586, सेक्टर नं0 10 द्वारका, नई दिल्ली जरिये परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकृत 59-बी-बापुनगर (पश्चिम)रोड नं0 05 सेथी, चित्तौडगढ।

.....अप्रार्थीगण

परिवाद अर्न्तगत धारा 3 (जी)(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 विरुद्ध अवार्ड प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद, जिसका अनुमोदन हेतु प्रस्तावित अवार्ड परियोजना निदेशक चित्तौडगढ को दिनांक 06.11.2015 को भेजा तथा प्रार्थी को इसकी सूचना जरिये नोटिस दिनांक 11.5.2017 को दी गई

उपरिथत:- 1. श्री लेखू मंघानी  
2. श्री अशोक कुमार शर्मा

अभिभाषक प्रार्थी  
अभिभाषक अप्रार्थी सं0 02

आदेश

दिनांक - 24.10.2018

दावा :- प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के द्वारा प्रार्थी/परिवादी की ग्राम श्रीनगर स्थित खसरा नं0 2308/7893 रकबा 0.5500 हेक्टेयर सहखातेदारी भूमि में से 0.080 हेक्टेयर को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79ए, 79, 76, एवं 8 किशनगढ-उदयपुर-अहमदाबाद खण्ड के 4 लेन से 6 लेन हेतु अधिग्रहण किये जाने हेतु नेशनल हाईवे एक्ट 1956 की धारा 3-ए(1) की सूचना/विज्ञप्ति दिनांक 13 व 14.9.2011 को दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक नवज्योति में प्रकाशित की गई। इस क्रम में प्रार्थी द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष लिखित आपत्तियाँ मय दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रश्नगत खसरा नं0 2308/7893 का व्यवसायिक भू-परिवर्तन होकर मौके पर होटल का निर्माण होकर व्यवसाय होने से मुआवजा व्यवसायिक बाजार दर से दिया जाने की मांग की गई। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवार्ड में प्रार्थी की लिखित आपत्तियाँ एवं दस्तावेज का उल्लेख तो किया लेकिन इस पर किसी तरह का निर्णय नहीं दिया। प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा अवाप्त भूमि का मुआवजा कृषि दर से निर्धारित कर परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई 59-बापु नगर (पश्चिम) रोड नं0-5 चित्तौडगढ को अवार्ड वास्ते अनुमोदनार्थ भिजवाया गया। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा निर्मित होटल का कोई मुआवजा नहीं दिया गया, जो न्यायसंगत नहीं है। भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की चौथी अनुसूचि में नेशनल हाईवे एक्ट 1959



कलक्टर (आर्बीट्रेटर)  
नेशनल हाईवे, अजमेर

के तहत भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 के प्रावधानों अनुसार मुआवजा तय किये जाने की व्यवस्था की गई है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्रार्थी को जारी नोटिस में भी इन्ही प्रावधानों के तहत मुआवजा तय किये जाने का उल्लेख है। भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 की प्रथम अनुसूची के अनुसार मार्केट वैल्यू का दोगुना करने के बाद उस पर 100 प्रतिशत सोलेशियम मनी जोड़कर मुआवजा तय किये जाने तथा भूमि के बदले भूमि दिये जाने, प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को एक वर्ष तक तीस हजार रुपये प्रतिमाह जीवन निर्वाह भत्ता, 50,000/- रुपये परिवहन खर्चा, पुर्नव्यवस्थापन भत्ता अनुग्रह राशि जो कम से कम 50,000/-रुपये इत्यादि दिये जाने की व्यवस्था की गई है। परन्तु उक्त अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के तहत परिलाभ प्रार्थी/परिवादी को नहीं दिया गया। प्रार्थी की अवाप्त भूमि, भीलवाडा रोड फोर लेन पर स्थित है, आस-पास बड़े-बड़े व्यवसायिक शोरूम, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया गेगल तथा होटलें स्थित है तथा व्यवसायिक दर 10,000/- रुपये प्रति वर्ग गज से अधिक निर्धारित है। सक्षम अधिकारी द्वारा आक्षेपित अवार्ड बिना मौके की स्थिति का अवलोकन किये तथा प्रावधानों की पालना किये बिना पारित किया गया है। नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 3 जी (7) के तहत भूमि का मुआवजा मार्केट दर से दिये जाने की व्यवस्था है। इसी प्रकार राज्य सरकार ने स्टाम्प नियम 2004 में अधिसूचना क्रमांक एफ-2 (27) एफ.डी./टेक्स /2009-78 दिनांक 05.12.2010 में संशोधन कर नये नियम 58 (1 ए) (II) के अनुसार नेशनल हाईवे/मेगा हाईवे/स्टेट हाईवे से लगते हुए खसरों का मूल्यांकन 100 मीटर तक डीएलसी दर का तीन गुना मूल्यांकन करने की व्यवस्था की गई है। भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 में डी.एल.सी. दर का 4 गुना राशि मुआवजे के रूप में दिये जाने की व्यवस्था है तथा भूमि की अवाप्ति अनिवार्य होने पर सोलेशियम राशि अतिरिक्त दिये जाने का प्रावधान है। सक्षम अधिकारी द्वारा इन व्यवस्थाओं पर ध्यान किये बिना विधिक प्रक्रियाओं के विपरीत अवार्ड आदेश पारित किया गया है। नेशनल हाइवे एक्ट 1956 की धारा 3 जी(2) के प्रावधानों के तहत अवाप्त की गई भूमि के उपयोग-उपभोग से महरूम होने पर निर्धारित मुआवजे की दस प्रतिशत राशि मालिक को अदा करने का प्रावधान है। विभिन्न उच्च न्यायालय व माननीय उच्चतम न्यायालयों द्वारा मार्केट वैल्यू को परिभाषित करते हुए व्यवस्था दी है कि किसी सम्पत्ति की बाजार दर वह है, जो सम्पत्ति के बदले में प्रतिफल के रूप में क्रेता, विक्रेता को अदा करता है। डीएलसी दर को सम्पत्ति की मार्केट वैल्यू तय करना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। नियमों के तहत भूमि का मुआवजा मार्केट दर से दिये जाने का प्रावधान है। नेशनल हाईवे एक्ट 1956 की धारा 3 जी (7) में स्पष्ट प्रावधान है :- The competent authority or the arbitrator while determining the amount under sub-section 1 or sub section 5 as the case may be, shall take into consideration :-

- (a) the market value of the land on the date of publication of the notification under Section 3-A.



कलक्टर (आर्बीट्रेटर)  
नेशनल हाइवे, अजमेर

• (b) the damage, if any sustained by the person interested at the time of taking possession of the land, by reason of the severing of such land from other land.

• (c) the damage, if any sustained by the person interested at the time of taking possession of the land by reason of the acquisition injuriously affecting his other immovable property in any manner or his earnings.

• (d) if, in consequences of the acquisition of the land, the person interested is compelled to change his residence or place of business, the reasonable expenses, if any, incidental to such change. के तहत भूमि का बाजार मूल्य इन्टेन्डेड लैण्ड यूज कैटेगिरी व उसके आस पास एरिया या विनरिटी के आधार पर किये जाने की व्यवस्था है। सक्षम अधिकारी ने मौके की रिथिति का अवलोकन किये बिना मुआवजा तय किया है। जबकि भूमि की मौका रिथिति के अनुसार बाजार दर से मुआवजा तय किया जाना चाहिये। नागरिक उडयन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर ने किशनगढ (अजमेर) में प्रस्तावित एयरपोर्ट हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा देने तथा भूमि के मालिको का पुर्नवास करने के लिए सम्भागीय आयुक्त अजमेर की अध्यक्षता में गठित कमेटी की बैठक दिनांक 4.6.2013 में निर्णय लिया गया कि "उक्त ग्राम की सीमा राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 08 से 400 मीटर की दूरी से प्रारम्भ होती है, इस क्षेत्र के पास औद्योगिक, व्यवसायिक संस्थान व आवासीय कॉलोनिया मदनगंज किशनगढ से लगती हुई है। भूमि विकसित होने से भूमि की बाजार कीमत मौके पर अधिक है परन्तु उक्त ग्राम की भूमियों की खरीद फरोख्त नही होने के कारण भूमि की डी.एल.सी. दरों में वृद्धि नहीं हुई है, कमेटी की सहमति अनुसार उक्त ग्राम की भूमि की दरे निर्धारित करने हेतु उदघोषणा की दिनांक को प्रचलित डी.एल.सी दरों में 6 गुणा वृद्धि करते हुए भूमि का मुआवजा वितरण हेतु दरें निर्धारित की गई है। "राज्य सरकार द्वारा कमेटी की सिफारिश व अन्य अनुमोदन किये गये तदनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा मुआवजे के रूप में डी.एल.सी. दर का 6 गुणा राशि व उस पर 30 प्रतिशत अतिरिक्त राशि (सोलेशियम मनी) तथा अधिसूचना जारी करने की तिथि से अंतिम भुगतान की तिथि से 12 प्रतिशत राशि अदा किये जाने का अवाईड पारित किया गया। तदनुसार ही प्रार्थी को मुआवजे की राशि दी जानी चाहिये।

उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर प्रार्थी को अवाप्त भूमि 800 वर्गमीटर की मार्केट वेल्थू 10,000/- प्रति वर्ग गज का दो गुना 1,60,00,000/-, 100 प्रतिशत सोलेशियम राशि 1,60,00,000/-, निर्मित सम्यति का मुआवजा 80,00,000/- रा-पु-पु नीति 2007 के प्रावधानों के तहत सहायता राशि रूपये- 5,00,000/- , 30,0000/- रूपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता 3,60,000/- मुआवजे पर ब्याज 12 प्रतिशत वार्षिक-18,65,000/- इस प्रकार कुल 4,27,25,000/- अक्षरे चार करोड सताईस लाख पच्चीस हजार रूपये दिलाये जाने के आदेश हेतु यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।



कलक्टर (आर्गीटर)  
नैशनल हाइवे, अजमेर

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी० को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 02 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। भूमि अवाप्ति अधिकारी से प्रार्थना पत्र बाबत टिप्पणी प्राप्त की गई। अप्रार्थी सं० 02 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि :-

**प्रतिरक्षण :-** राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 ए के 16.000 कि.मी. से 35.000 कि.मी. तथा 79 के 15.000 कि.मी. से 34.400 कि.मी. तक के भूखण्ड (किशनगढ़-चित्तौड़गढ़ सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने छह लेन का बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबन्ध, और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए परिसंचालन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा ग्राम श्रीनगर तहसील नसीराबाद के खसरा नं० 2308/7893 रकबा 0.080 हैक्टेयर भूमि निजी किस्म वारानी तृतीय की अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 ए के नोटिफिकेशन दिनांक 30.10.2012 के तहत की गई है। इस क्रम में भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 (D) के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 28.10.2013 को जारी कर अधिसूचना का भारत सरकार का राजपत्र का प्रकाशन दो हिन्दी भाषी दैनिक समाचार पत्रों में करवाया गया। अधिसूचना के प्रकाशन के 21 दिवस के भीतर हितबद्ध पक्षकारान द्वारा धारा 3 (c) की उपधारा 2 के तहत प्रस्तुत आपत्तियों का सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 3 (c) की उपधारा 3 के तहत निस्तारण किया गया। अवाप्त भूमि का मुआवजा राजस्व रिकार्ड के अनुसार कृषि होने से उप पंजीयक नसीराबाद से प्राप्त जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित दर 4,42,750/- रुपये प्रति बीघा से अवाप्त भूमि अनुसार देय मुआवजा राशि 2,18,812/- में 10 प्रतिशत सुखाचार राशि 21,881/- जोड़कर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के प्रावधानानुसार कुल मुआवजा राशि 2,40,693/- का निर्धारण किया गया है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात अवाप्त की जाने वाली भूमि की अधिसूचना जारी करने हेतु विस्तृत रिपोर्ट अप्रार्थी संख्या 02 को भेजी गई। प्रार्थी/परिवादीगण द्वारा प्रश्नगत अवाप्त भूमि का बिना भू-उपयोग परिवर्तन करवाये, अन्य व्यक्तियों की भू-उपयोग परिवर्तित भूमि को आधार बनाकर मुआवजों की मांग किया जाना न्यायोचित नहीं है। अधिनियम की धारा 3 ए के नोटिफिकेशन की दिनांक 30.10.2012 को अवाप्तशुदा भूमि की किस्म व्यवसायिक नहीं होकर कृषि भूमि थी। प्रार्थीगण का उक्त अवाप्तशुदा भूमि खसरा नं० 2308/7893 में राजस्व रिकार्ड के अनुसार खातेदारी में अंकित भूमि के खातेदार अनुसार मुआवजे का निर्धारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है। प्रार्थी का खसरा नं० 2308/7893 में कोई निर्माण नहीं है। सहखातेदार सत्यनारायण पुत्र रामकिशन द्वारा 6 दुकानें निर्मित है। बिना भूमि रूपान्तरण के भूमि का उपयोग अन्य किसी प्रयोजनार्थ किया गया है तो उक्त भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानानुसार अवाप्त की गई है जो कि केन्द्र सरकार में अन्तिम रूप से निहित होने से इसे किसी भी न्यायालय में चुनौति नहीं दी जा सकती है। अवाप्त शुदा भूमि को अवाप्ति से मुक्त करने की शक्तियाँ माननीय न्यायालय पंच निर्णायक को प्राप्त नहीं है। प्रार्थी द्वारा आधारहीन, काल्पनिक एवं मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/परिवाद पोषणीय नहीं होने से मय हर्जे खर्चे खारिज योग्य है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र तथ्यों एवं अप्रार्थी द्वारा प्रतिरक्षण में प्रस्तुत जवाब कथनों के आधार पर मुख्यतः वाद बिन्दू कायम किया गया।



कलेक्टर (आर्बी डेटे)  
नेशनल हाइवे, अजमेर

## वाद बिन्दू :-

- आया प्रार्थी/परिवादी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79ए, 79, 76, एवं 8 किशनगढ-चित्तौडगढ खण्ड के 4 लेन से 6 लेन के लिए ग्राम श्रीनगर तहसील एवं जिला अजमेर की अवाप्त भूमि खसरा नं० 2308/7893 रकबा 0.080 हेक्टेयर का मुआवजा व्यवसायिक बाजार दर से तथा भू०अवा०अधि० की धारा 26 के तहत नेशनल रिहेब्लिटेशन एण्ड री-सेटलमेंट पॉलिसी 2007 व रा.पु.व.पु.नीति 2007 के अनुच्छेद 7.11 के अनुरूप अन्य सहायता, स्थानान्तरण राशि प्राप्त करने के अधिकारी है ?

उभय पक्ष (वादी/प्रतिवादी) द्वारा अपने दावे/प्रतिरक्षण में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने पर माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा वाद बिन्दुओं को तय किये जाने का प्रयास किया गया।

**आपसी सहमति :-** माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा माध्यस्थम् कार्यवाही के तहत कायम वाद बिन्दु पर आपसी सहमति बनाये जाने के प्रयास के तहत उभय पक्ष को आमने सामने बिठाकर सुलह का प्रयास करवाया गया। उभय पक्ष में इस दौरान किसी भी बिन्दु पर सहमति नहीं बन पाई।

उपस्थित उभय पक्ष (वादी/प्रतिवादी) द्वारा माध्यस्थम् अधिकरण को प्रकरण में गुणावगुण पर विनिश्चय करने के लिए सहमति प्रकट करते हुए आदेश पारित करने के आग्रह पर उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। वाद बिन्दुवार निर्णय निम्न प्रकार पारित किया जाता है।

- आया प्रार्थी/परिवादी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79ए, 79, 76, एवं 8 किशनगढ-चित्तौडगढ खण्ड के 4 लेन से 6 लेन के लिए ग्राम श्रीनगर तहसील एवं जिला अजमेर की अवाप्त भूमि खसरा नं० 2308/7893 रकबा 0.080 हेक्टेयर का मुआवजा व्यवसायिक बाजार दर से तथा भू०अवा०अधि० की धारा 26 के तहत नेशनल रिहेब्लिटेशन एण्ड री-सेटलमेंट पॉलिसी 2007 व रा.पु.व.पु.नीति 2007 के अनुच्छेद 7.11 के अनुरूप अन्य सहायता, स्थानान्तरण राशि प्राप्त करने के अधिकारी है ?

इस बिन्दु बाबत प्रार्थी का मुख्यतः तर्क है कि प्रार्थी द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष लिखित आपत्ति मय दस्तावेज प्रस्तुत कर अवाप्त भूमि का मुआवजा व्यवसायिक, बाजार दर से दिये जाने का अनुरोध इस आधार पर किया कि प्रश्नगत खसरा नं० 2308/7893 भीलवाडा रोड फोर लेन पर स्थित है तथा आस-पास बड़े-बड़े व्यवसायिक शोरूम, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया गोगल तथा होटलें स्थित है जहाँ व्यवसायिक दर 10,000/- रुपये प्रति वर्ग गज से अधिक निर्धारित है। मौके पर होटल निर्मित है जिसमें व्यवसाय होता है। नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 3 जी (7) के तहत भूमि का मुआवजा मार्केट दर से दिये जाने की व्यवस्था है। सक्षम अधिकारी द्वारा मौके की स्थिति का अवलोकन किये बिना तथा प्रस्तुत लिखित आपत्तियों पर निर्णय पारित किये बिना अवाप्त भूमि का मुआवजा कृषि भूमि की डीएलसी दर से निर्धारित कर वारंते अनुमोदनार्थ भिजवाया गया, जो विधिक आधार नहीं है। भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की चौथी अनुसूचि में नेशनल हाईवे एक्ट 1959 के तहत भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 के प्रावधानों अनुसार मुआवजा तय



an  
कलेक्टर (आर्वाइटर)  
नेशनल हाईवे, अजमेर

किये जाने की व्यवस्था होने के बावजूद प्रावधानों के तहत परिलाभ प्रार्थी/परिवादी को नहीं दिया गया। विभिन्न उच्च न्यायालय व माननीय उच्चतम न्यायालयों द्वारा मार्केट वैल्यू को परिभाषित करते हुए व्यवस्था दी है कि किसी सम्पत्ति की बाजार दर वह है, जो सम्पत्ति के बदले में प्रतिफल के रूप में क्रेता, विक्रेता को अदा करता है। डीएलसी दर को सम्पत्ति की मार्केट वैल्यू तय करना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। नियमों के तहत भूमि का मुआवजा मार्केट दर से दिये जाने का प्रावधान है। नेशनल हाईवे एक्ट 1956 की धारा 3 जी (7) के तहत भूमि का बाजार मूल्य इन्टेन्डेड लैण्ड यूज कैटेगिरी व उसके आस पास एरिया या विनसिटी के आधार पर किये जाने की व्यवस्था है। तदनुसार ही प्रार्थी/परिवादी को मुआवजे की राशि दी जानी चाहिये।

जबकि अप्रार्थी का तर्क है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा ग्राम श्रीनगर के खसरा नं० 2308/7893 रकबा 0.080 हैक्टेयर भूमि किसम वारानी तृतीय की अवाप्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 ए के नोटिफिकेशन दिनांक 30.10.2012 के तहत की गई है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा मौके की स्थिति का अवलोकन कर अवाप्त भूमि का मुआवजा राजस्व रिकार्ड के अनुसार भूमि की प्रकृति, लोकैलिटी एवं भूमि उपयोगिता के आधार पर तथा भूमि की किसम के अनुसार अधिनियम की धारा 3ए के समय उप पंजीयक से प्राप्त डी.एल.सी. दर जो कि वास्तविक बाजार दर होती है, (जो जिला स्तरीय समिति द्वारा समस्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए तय की जाती है) से अवार्ड पारित किया गया है। प्रार्थी के प्रस्तुत प्रकरण द्वारा वांछित मुआवजा अनुतोष प्राप्त करने का कोई विधिक आधार स्पष्ट नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में यह वाद विन्दु विरुद्ध प्रार्थी तय किया जाता है।

इस प्रकार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अन्तिम विनिश्चय हेतु उपरोक्त विन्दु अप्रार्थीगण के पक्ष में तय किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 ए के नोटिफिकेशन की दिनांक 30.10.2012 को अवाप्तशुदा भूमि की किसम व्यवसायिक नहीं होकर कृषि भूमि थी, तदनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुरूप मुआवजे का नियमानुसार निर्धारण कर अवार्ड पारित किया गया है। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा नेशनल हाईवे एक्ट के प्रावधानों की पालना की गई है। अतएव—

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति सक्षम अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे को हस्त कायदा प्रेषित हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।



*An*  
(आरती डोगरा)  
कलक्टर (आर्बीट्रेटर)  
नेशनल हाईवे, अजमेर